

रात्रि चौपाल बिनोता

Officer Name:- Mr. Ravi Jain, IAS
Designation:- Collector, Chittorgarh
Tour/ Night Halt Date:- 13 April 2011

District Name:- Chittorgarh
Contact No:- 01472-240001

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम व पता (दूरभाष सहित)	प्रकरण का विषय	की गई कार्यवाही
१	ग्रामवासियान बिनोता	हनुमान मन्दिर तक रास्ता निर्माण, गन्दगी दूर करना व पेजल समस्या समाधान हेतु।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
२	श्रीमती कमलेश पाराशर, निवासी बिनोता	आईसीआईसीआई बैंक शाखा बिनोता द्वारा सामुहिक समुहों को ऋण नहीं दिया जा रहा है।	मैनेजर आईसीआईसीआई, बिनोता को १० दिवस में प्रकरण का निस्तारण कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये।
३	ग्रामवासियान बिनोता	चारागाह व राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर महादेवजी वाला रास्ता अवरूद्ध कर देने बाबत्।	तहसीलार निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा गया।
४	श्री बिहारीलाल सुथार वगैराह, निवासीयान बिनोता	आशाराम कुम्हार ने कुए पर जाने का रास्ता बन्द कर रखा है।	तहसीलार निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा गया।
५	समस्त वार्ड वासी, वार्ड नं. १२-१३	वार्ड नं. १२-१३ के मध्य स्थित शराब की दुकान हटाने बाबत्।	डीईओ को मौके की जांच कर ३ दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये।
६	श्री मांगीलाल कुमावत, निवासी वागडी	नाली व मार्ग से अतिक्रमण हटाने बाबत्।	सरपंच बिनोता व ग्राम सचिव बिनोता को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर ७ दिवस में अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये।
७	श्री रामलाल ढोली, निवासी बिनोता	ऋण स्वीकृत होने के बाद भी बैंक मैनेजर द्वारा फाईल लौटाये जाने बाबत्।	मैनेजर आईसीआईसीआई, बिनोता को १० दिवस में प्रकरण का निस्तारण कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये।
८	श्री मांगीलाल पिता भाना गायरी, निवासी बिनोता	खेत का रास्ता खुलवाने बाबत्।	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को धारा २५१ आर.टी.एक्ट में प्रकरण दर्ज कर निस्तारण करने हेतु आदेश दिये गये।
९	समस्त भामादौर मोहल्लावासी, बिनोता	पेजल पाईपलाईन चेंज करने बाबत्।	सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर ७ दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये।
१०	श्री कैलाश सिंह व सदर अयुब, निवासी बिनोता	वार्ड नं. १३ में पेजल समस्या के समाधान बाबत्।	सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर १० दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये।
११	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	नरेगा योजनान्तर्गत ६०-४० अनुपात के बाद भी पक्का निर्माण कार्य चालु करवाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
१२	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	ग्राम बिनोता में विद्युत की नियमित आपूर्ति बाबत्।	अधिकाारी अभियन्ता, अविनिनि, निम्बाहेड़ा को उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया।
१३	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	गांव में पटवार घर के निर्माण की स्वीकृति बाबत्।	आफिसर इन्चार्ज (एल.आर.) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
१४	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	खेल मैदान के निर्माण की स्वीकृति बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

१५	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	बीपीएल से वंचित लोगों को स्टेट बीपीएल के कार्ड नहीं मिले हैं।	जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
१६	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित चलाने बाबत।	डिपा मैनेजर, रा.रा.प.प.निगम, चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
१७	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	नरेगा में स्वीकृत सड़के पीडब्ल्यूडी से चालु करवाने बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
१८	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	प्रतिनियुक्ति पर गये चिकित्साकर्मियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने बाबत।	खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, निम्बाहेड़ा को आवश्यकतानुसार स्टाफ की प्रतिनियुक्ति करने/निरस्त करने बाबत निर्देश दिये गये।
१९	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	वनभूमि पर विभाग द्वारा गड़बड़ी व उचित रख रखाव बाबत।	जिला वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया।
२०	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता	ग्राम बिनोता में पेयजल के लिए एक और टंकी तथा वार्ड नं. १३ व ५ में और लाईन डलवाने बाबत।	अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि.विभाग, को आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये।
२१	वार्डवासी, वार्ड नं. ५, बिनोता	इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृति बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
२२	श्री रामचन्द्र पिता मगनीराम माली, निवासी बिनोता	बीपीएल में चयन करवाने बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
२३	श्री कान सिंह बिनोता	मानसिक ईलाज व बीपीएल में चयन बाबत।	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निम्बाहेड़ा को प्रार्थी के ईलाज हेतु तत्काल व्यवस्था हेतु आदेश दिये गये।
२४	श्रीलाल पिता सवा गुर्जर, निवासी बिनोता	कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन करवाने बाबत।	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) अविनिलि, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
२५	श्री कैलाशचन्द्र कुमावत	नल कनेक्शन से पानी की सप्लाई नहीं आने बाबत।	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग निम्बाहेड़ा को आवश्यक कार्यवाही कर दिनांक १४.०४.११ को प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आदेश दिये गये।
२६	श्री भूरालाल सोनी, निवासी बिनोता	विद्युत विभाग द्वारा नोटिस देने बाबत।	सहायक अभियन्ता ने अवगत कराया की प्रार्थी को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया है। नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिये गये।
२७	श्रीमती शालु कलाल पत्नी हेमराज कलाल, निवासी बिनोता	इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृति बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
२८	श्री दिनेश कुमार पिता चम्पालाल जटिया, निवासी बिनोता।	आवंटित भूमि पर श्री कैलाश पिता बंशीलाल गौड़ द्वारा कब्जा करने बाबत।	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को धारा १८३ (बी) रा.टी.एक्ट में कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये गये।
२९	ग्रामवासियान बिनोता	सार्वजनिक महिला शौचालय के निर्माण बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
३०	श्रीमती रामकन्या पत्नी कैलाश जटिया, निवासी बिनोता	दुर्घटना में मृत्यु होने से सहायता राशि दिलवाने बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर १५ दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये।
३१	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़	संविदा कार्मिक विद्यार्थी योजनान्तर्गत तृ.वे.श्रु. के पद पर समायोजन बाबत।	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
३२	श्री जगदीश कुमावत, निवासी बिनोता	मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से ईलाज	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निम्बाहेड़ा को प्रार्थी के ईलाज हेतु तत्काल

		करवाने बाबत् ।	व्यवस्था हेतु आदेश दिये गये ।
३३	ग्रामवासियान बिनोता	ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक महिला स्नानघर निर्माण बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
३४	श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी भगवानलाल कुमावत	आवास निर्माण की स्वीकृति एवं बीपीएल में चयन कराने बाबत् ।	उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
३५	श्रीमती लीलाबाई कुम्हार, निवासी बिनोता	बीपीएल में चयनित कराने बाबत् ।	उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
३६	श्री शांतिलाल रावत	जमीन खाते करवाने बाबत् ।	प्रार्थी को अवगत कराया गया की सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उचित सहायता हासिल करें ।
३७	श्री पहलवान खां, निवासी बिनोता	इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त किसी ओर के खाते में जमा कराने बाबत् ।	मैनेजर आईसीआईसीआई, बिनोता को १० दिवस में प्रकरण का निस्तारण कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये ।
३८	श्री कानसिंह निवासी बिनोता	मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से ईलाज के लिए सहायता दिलाने बाबत् ।	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निम्बाहेड़ा को प्रार्थी की दवाओं की तत्काल व्यवस्था हेतु आदेश दिये गये ।
३८ए	श्रीमती गीताबाई पत्नी हेमराज माली, निवासी बिनोता	इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृति बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
३९	श्री शम्भुलाल पिता कन्हेयालाल, निवासी बिनोता ।	सन् २००४ के अभियान में भूखण्ड दिये जाने बाबत् ।	उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को प्रकरण की जांच कर ७ दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये ।
४०	श्री भैरूलाल पिता पन्नालाल माली, निवासी बिनोता	खातेदारी जमीन में नाम दर्ज करवाने बाबत्	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
४१	समस्त ग्रामवासी बिनोता	आबादी क्षेत्र से ११ के.वी. लाईन हटाने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) अविविनिलि, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
४२	ग्राम पंचायत भगवानपुरा	शिवगढ़ मोड़ से बरवाड़ा तक सड़क डामरीकरण बाबत् ।	अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
४३	सरपंच, ग्राम पंचायत भगवानपुरा	राउप्रावि (संस्कृत) को क्रमोन्नत करने बाबत् ।	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
४४	श्री मदनलाल पिता उदयलाल माली, निवासी बिनोता	इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृति प्रदान करने बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
४५	श्रीमती गीता भारद्वाज, अध्यापिका, निवासी बिनोता ।	रा.बा.उ.प्रा.वि. बिनोता के उपर से गुजरने वाली ११ केवी लाईन हटाने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) अविविनिलि, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
४६	श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी सालगराम कुमावत, निवासी बिनोता	मोहल्ले की गन्दगी दूर कराने बाबत् ।	सरपंच, ग्राम पंचायत बिनोता को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सप्ताह में २ बार सफाई करवाने हेतु निर्देश दिये गये ।
४६ए	वार्ड वासी, वार्ड नं. १२, बिनोता	पाईप लाईन उलवाने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि.विभाग, निम्बाहेड़ा को आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये ।
४७	वार्ड वासी, वार्ड नं. १२, बिनोता	पाईप लाईन उलवाने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि.विभाग, निम्बाहेड़ा को आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये ।

४८	श्रीमती शालु पत्नी हेमराज कलाल, निवासी बिनोता	घरेलु विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन बाबत् ।	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) अविविनिलि, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
४९	श्री भारतसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत, निवासी बिनोता	राशनकार्ड बनवाने बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
५०	समस्त ग्रामवासी, बिनोता	आयुर्वेद चिकित्सक की नियुक्ति बाबत् ।	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये ।
५१	श्री विपिन कुमार पिता स्व. लक्ष्मीलाल शर्मा, बिनोता	अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने बाबत् ।	प्रकरण स्थापना अनुभाग, जिला कलक्टर कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया ।
५२	श्री उदयसिंह मीणा, निवासी गुडाखेड़ा	खनन पट्टा आवंटित कराने बाबत् ।	सहायक खनि. अभियन्ता, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये ।
५३	श्रीमती रामी बाई पत्नी दलीचन्द तेली, बिनोता	कृषि भूमि का कब्जा दिलाने बाबत् ।	प्रार्थीया को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उचित सहायता प्राप्त करने हेतु सलाह दी गई ।
५४	श्री महेन्द्रसिंह, बिनोता	बहन का अपहरण होने बाबत् ।	पुलिस उपअधीक्षक, वृत्त निम्बाहेड़ा को प्रकरण में जांच कर शीघ्रतिशीघ्र प्रार्थी की बहिन को तलाश करने हेतु आदेश दिये गये ।
५५	श्रीमती पार्वती बाई पत्नी कालुराम लखारा, निवासी बिनोता ।	इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृति बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
५६	सदर, अंजुमन इस्लाम कमेटी, बिनोता	ईदगाह व कब्रिस्तान हेतु भूमि बाबत् ।	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
५७	श्री मदनलाल पिता बसन्तीलाल व श्रीमती यशोदा देवी पत्नी मदनलाल ब्राह्मण, निवासी बिनोता ।	पेन्शन चालु करवाने बाबत्	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
५८	श्री कैलाश चन्द्र गौड़, बिनोता	जमीन से कब्जा हटाने बाबत् ।	प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उचित सहायता प्राप्त करने हेतु सलाह दी गई ।
५९	श्री भैरूलाल पिता भोलीराम रावत, बिनोता	प्लाट का पट्टा दिलाने बाबत् ।	प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उचित सहायता प्राप्त करने हेतु सलाह दी गई ।
५९ए	श्री संजय कुमार कुम्हार, बिनोता	छात्रवृत्ति आईसीआईसीआई बैंक से दिलवाने बाबत् ।	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
६०	श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी लक्ष्मीलाल टेलर, निवासी बिनोता	बीपीएल में नाम जुड़वाने बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
६१	श्री मगनीराम जोगी, निवासी रूपनगर ।	रूपनगर में पानी व बिजली की व्यवस्था कराने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग एवं अविविनिलि, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
६२	श्री भगवतीलाल कुमावत, निवासी बिनोता ।	पाईप लाईन लिकेज होने से गन्दा पानी आने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया ।
६३	श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी बिहारीलाल कुमावत, निवासी बिनोता ।	विधवा पेन्शन स्वीकृत कराने बाबत्	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
६४	ग्रामवासी बिनोता ।	पेयजल समस्या दूर करने बाबत् ।	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक

			कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
६५	श्री पन्नलाल पिता डालचन्द्र ब्राह्मण, निवासी बिनोता।	निजी आराजी का कब्जा दिलाने बाबत्।	प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उचित सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।
६६	श्रीमती गोदावरी बाई पत्नी मानमल कुमावत, निवासी बिनोता	बीपीएल सूची में चयनित करवाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
६७	श्रीमती नारायणी बाई जटिया, निवासी बिनोता	आर्थिक सहायता दिलवाने बाबत्।	समाज कल्याण विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रार्थीया बेवा को सहायता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।
६८	श्री मांगीलाल सिगलीजा, बिनोता	माता की विधवा पेन्शन स्वीकृत कराने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
६९	श्रीमती नसीम बानो पत्नी ईकबाल हुसैन, निवासी बिनोता।	इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृति बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७०	वार्ड वासी, वार्ड नं. १४ बिनोता	पानी की टंकीयों की मोटरें सुधरवाने बाबत्।	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७१	श्री चम्पालाल जटिया, बिनोता	बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७२	श्री गणपतलाल पाटीदार, बिनोता	११ हजार केवी लाईन हटाने बाबत्	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) अविनिलि, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७३	वार्डवासी वार्ड नं. १, बिनोता	जलापूर्ति बाबत्	सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७४	श्री सत्यनारायण माली, बिनोता	जमीन का आराजी नं. बदलवाने बाबत्।	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७५	श्री पृथ्वीराज डांगी, निवासी बिनोता	शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग पुत्री को शिक्षा व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७६	श्रीमती प्रेमलता रेगर, बिनोता	बीपीएल सूची में चयनित करवाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७७	श्रीमती सकु बाई जटिया, बिनोता	पालनहार योजना का पैसा मन्जु बाई के बजाय सकु बाई के नाम दिलवाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं समाज कल्याण विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७८	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रामेश्वरलाल गौड़, निवासी बिनोता	वृद्धावस्था पेन्शन दिलाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
७९	श्रीमती पार्वती पत्नी रामेश्वर भारद्वाज, बिनोता	वृद्धावस्था व विधवा पेन्शन बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
८०	श्री मोहनसिंह पिता चतुर्भुज राजपूत, बिनोता	पेन्शन नहीं मिलने की समस्या का निराकरण बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।
८१	श्री शंकरलाल पिता शांतिलाल रावत, बिनोता	विकलांगता पेन्शन दिलाने बाबत्।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

८२	श्रीमती गीता बाई खटीक, बिनोता	इन्दिरा आवास में स्वीकृति बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
८३	श्री विक्रम सिंह पिता विजय सिंह मुणेत, निवासी बिनोता ।	स्टाम्प वेण्डर का लाईसेन्स दिलवाने बाबत् ।	उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा को अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये ।
८४	श्री मोहनलाल तेली, बिनोता	रास्ते में अवैध चबुतरे को हटाने बाबत् ।	सरपंच, बिनोता को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।
८५	श्री मुकेश पिता अमरचन्द सालवी, निवासी जावदा-२	आर्थिक सहायता दिलवाने बाबत् ।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया ।



